


निविदा की शर्तें:-

1. निविदाएं सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड ए.डी./स्पीड पोस्ट/पी. एण्ड टी. विभाग के द्वारा अधिकृत कोरियर के द्वारा कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर (छ.ग.) (पिन. कोड-495442) में दिनांक 22/07/2019 अपराह्न 03 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। निविदाएं अंतिम तिथि 22/07/2019 को 04:00 बजे कय समिति के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा खोलते समय निविदाकार उपस्थित हो सकते हैं।
2. निविदा के साथ अनुमानित व्यय राशि का 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि राशि चालान के माध्यम से "8443 सिविल जमा राशियां 103 प्रतिभूति जमा" लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्रॉफ्ट द्वारा जो प्राचार्य, शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर (छ.ग.) के नाम से देय हो जमा करना अनिवार्य है।
3. केवल वे ही फर्म/संस्थाएं/अधिकृत विक्रेता/निर्माता/व्यापारी निविदायें दें जिनके पास स्वयं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो तथा वांछित सामग्री प्रदाय करने में सक्षम हो। निविदाकार का पंजीयन वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत होना अनिवार्य है। निविदा के साथ उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदाकार अपनी फर्म का वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र, पंजीयन क्रमांक, दिनांक, सेल्स टैक्स नंबर, आयकर क्रमांक, आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र, GST नम्बर आवश्यक रूप से दें अन्यथा क्लेरियेन्स की मूल प्रति अथवा उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
4. निविदाकार एक बड़े लिफाफे में जिस पर निविदा क्रमांक तथा 2019-20 अंकित करते हुए फर्म का नाम और पता उल्लेख करेंगे।
उक्त बड़े लिफाफे में निम्नानुसार लिफाफे रखेंगे—
 - (1) अनुमानित राशि से संबंधित लिफाफा 'अ'
 - (2) दरों से संबंधित विवरण का लिफाफा 'ब'
5. बड़े लिफाफे के ऊपर कंपनी का नाम एवं सामग्री का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें। जिसके लिए निविदा जमा की जा रही है।
6. अपने निविदा में कुल मूल्य पर दी जाने वाली छूट (Discount) दरों का स्पष्ट उल्लेख करें।
7. प्रथमतः लिफाफा "अ" खोला जायेगा। नियमानुसार राशि का ड्राफ्ट/छूट संबंधित प्रमाण पत्र होने पर ही लिफाफा "ब" खोला जायेगा।
8. निविदा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दर एवं टैक्स स्पष्ट व पठनीय होनी चाहिए। सामग्री को प्राचार्य, शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर (छ.ग.) में संबंधित विभाग तक पहुंचाना होगा।
9. निविदा फर्म में निर्धारित मानकों के अनुसार सामग्री और यदि मानक नहीं दिये गये हैं तो उच्च स्तर की सामग्री के लिए भी दरें देनी होंगी।
10. सामग्री का विवरण 'फार्म-बी' पर अंकित किया जावे।
11. क्रय की जाने वाली सामग्री 'फार्म-बी' की सूची में दर्शायी गई है। आवश्यकतानुसार सामग्रियों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है अथवा किसी सामग्री को सूची में हटाया भी जा सकता है जिससे क्रय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकेगा। किसी सामग्री को सूची में आवश्यकतानुसार सम्मिलित भी किया जा सकता है।
12. निविदा में स्वीकृत की गई वस्तुओं का प्रदाय क्रय आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों में करना होगा एवं सामग्री प्रदाय करने के 03 दिवस के भीतर देयक प्रस्तुत करना होगा। उपकरण होने की स्थिति में इसको स्थापित कर प्रदर्शित करने के पश्चात् संतोषजनक होने पर ही देयक का भुगतान किया जायेगा।
13. निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में यदि अन्य फर्म से या बाजार से ऊँची दरों पर सामग्री क्रय करनी पड़ी तो क्रय की गई सामग्री की ऊँची दर के अंतर की राशि की कटौती संबंधित

- निविदाकार की जमा अमानत राशि से करने का अधिकार प्राचार्य, शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर (छ.ग.) को होगा।
14. निविदा में स्वीकृत सामग्री की गुणवत्ता की जांच विभाग के किसी भी विशेष जानकार व्यक्ति से प्राचार्य करा सकेंगे। इस प्रकार प्राप्त राय के आधार पर प्राचार्य द्वारा लिया गया निर्णय निविदाकार को बंधनकारी होगा एवं आवश्यकतानुसार राशि की कटौती देयक से की जा सकेगी।
 15. असाधारण परिस्थितियों में देयक भुगतान में देरी के लिए किसी प्रकार का ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 16. देयक भुगतान की कार्यवाही क्रय आदेश के किसी एक भाग के लिए नहीं की जावेगी अर्थात् क्रय आदेश में दर्शित समस्त सामग्री का प्रदाय जब तक नहीं किया जावेगा, देयक भुगतान हेतु लंबित रखा जायेगा।
 17. सामग्री समय पर प्रदान न करने पर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
 18. जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
 19. प्रदान की जाने वाली सामग्री संबंधित विभाग/शाखा के स्टोर रूम तक पहुंचाने के उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
 20. विवाद की स्थिति में प्राचार्य, शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर (छ.ग.) का निर्णय अंतिम होगा तथा इसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं सुनी जायेगी।
 21. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा कि निविदाकार को उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य एवं बंधनकारी हैं।


प्राचार्य (डॉ. आर. एस. खेर)
शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर (छ.ग.)
प्राचार्य,

शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495442